(भारत के राजपत्र असाधारण, भाग–I, खण्ड I में प्रकाशनार्थ)

भारत सरकार
वाणिज्य एवं उद्योग मंत्रालय
वाणिज्य विभाग
विदेश व्यापार महानिदेशालय
उद्योग भवन, नई दिल्ली

सार्वजनिक सूचना सं. 36 /2015–2020
दिनांकः– 11 नवम्बर, 2021

विषयः विदेश व्यापार नीति 2015–2020 के परिशिष्ट 1क में संशोधन के संबंध में।

विदेश व्यापार नीति (एफटीपी) 2015–20 पैरा 2.04 के तहत प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए महानिदेशक विदेश व्यापार एतद्द्वारा डीजीएफटी के निम्नलिखित क्षेत्रीय प्राधिकारियों के क्षेत्रीय क्षेत्राधिकार में संशोधन करके विदेश व्यापार नीति 2015–20 के परिशिष्ट 1के में संशोधन करते हैं:

परिशिष्ट 1क में क्रम सं.	क्षेत्रीय प्राधिकारी का नाम और पता	मौजूदा क्षेत्रीय क्षेत्राधिकार	संशोधित क्षेत्रीय क्षेत्राधिकार
13	अपर महानिदेशक विदेश व्यापार 11/ए, गवर्मेंट एम. एस. बिल्डिंग, ओल्ड सिटी, लाल दरवाजा **अहमदाबाद** गुजरात 380001	गुजरात राज्य, ऐसे क्षेत्रों को छोड़कर जो क्षेत्रीय प्राधिकारी राजकोट, वडोदरा, सूरत और विकास आयुक्त केएफटीजेड के क्षेत्राधिकार के अंतर्गत हैं।	गुजरात राज्य, ऐसे क्षेत्रों को छोड़कर जो राजकोट, वडोदरा, सूरत और विकास आयुक्त केएफटीजेड के क्षेत्राधिकार के अंतर्गत है [नवसारी और तापी जिलों को क्षेत्रीय प्राधिकारी सूरत को स्थानांतरित कर दिए गए हैं]।
16	संयुक्त महानिदेशक विदेश व्यापार रेशम भवन, छठा तल, लाल दरवाजा, स्टेशन रोड, लाल दरवाजा, वराछा **सूरत,** गुजरात 395008	गुजरात के जिलेः (i) सूरत (ii) वलसाड़ और (iii) डांग	गुजरात के जिलेः (i) सूरत (ii) वलसाड़ (iii) डांग (iv) नवसारी और (v) तापी

2. इस सार्वजनिक सूचना का प्रभावः

गुजरात के नवसारी और तापी जिलों को तत्काल प्रभाव से क्षेत्रीय प्राधिकारी, अहमदाबाद के क्षेत्रीय क्षेत्राधिकार से क्षेत्रीय प्राधिकारी, सूरत को स्थानांतरित किया गया हे।

अमित यादव
11/11/2021
(अमित यादव)
महानिदेशक, विदेश व्यापार एवं
पदेन अपर सचिव, भारत सरकार
ईमेलः dgft@nic.in

(फा० सं० 01/93/180/80/एएम–16/पी.सी–2(ख)/ई–2418 से जारी)